भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1397

दिनांक 13 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

डीडीयूजीजेवाई के उद्देश्य और प्रभाव

1397. श्री तारिक अनवरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के उद्देश्यों और मुख्य विशेषताओं तथा ग्रामीण विद्युतीकरण में इसके योगदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत विद्युतीकृत ग्रामों और आवासों की संख्या कितनी है और विशेषकर बिहार के कटिहार जिले सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार विद्युतीकरण कवरेज की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत बिहार में, विशेष कर कटिहार जिले में बिजली कनेक्शन प्राप्त करने वाले बीपीएल परिवारों की संख्या कितनी है;

(घ) सरकार द्वारा बिहार के उक्त जिले में उक्त योजना के अंतर्गत ग्रामीण बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किए गए/लागू किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सुदूर और दुर्गम इलाकों में इस योजना को लागू करने में आने वाली चुनौतियों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(च) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास और आर्थिक गतिविधियों पर उक्त योजना के प्रभाव की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने वर्ष 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की। इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार थीं:

i. कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण करना, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टरिंग संभव हो सके;
ii. ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण (एसटीएंडडी) अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण एवं अभिवृद्धि, जिसमें वितरण ट्रांसफार्मर/फीडर/उपभोक्ता मीटर लगाना शामिल है;
iii. पूर्ववर्ती ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के शेष कार्यों सहित ग्रामीण विद्युतीकरण।

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश के सभी गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों को 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकृत कर दिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत कुल 18,374 गांवों और 49,25,124 गरीबी रेखा से नीचे वाले (बीपीएल) घरों को विद्युतीकृत किया गया। गांवों के विद्युतीकरण का राज्य-वार ब्यौरा

अनुबंध-I पर दिया गया है। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 से सितम्बर, 2017 तक विद्युतीकृत बीपीएल घरों का ब्यौरा **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

भारत सरकार ने अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब परिवारों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करना था। राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर सौभाग्य अवधि के दौरान लगभग 2.86 करोड़ घरों को विद्युतीकृत किया गया। डीडीयूजीजेवाई के तहत संस्वीकृत अतिरिक्त घरों सहित सौभाग्य के शुभारंभ के बाद से विद्युतीकृत घरों का ब्यौरा (दिनाँक 31.03.2022 तक) **अनुबंध-III** पर दिया गया है।

भारत सरकार ने वितरण यूटिलिटी अर्थात डिस्कॉम/विद्युत विभागों की प्रचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार के लिए राज्यों के प्रयासों को सहायता प्रदान करने हेतु जुलाई 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की। ताकि विद्युत की गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय आपूर्ति प्रदान की जा सके। आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत घरेलू विद्युतीकरण कार्यों, जिसमें प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) से संबंधित घरों के विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत कार्यों और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के तहत आदिवासी परिवारों के लिए संस्वीकृत कार्य **अनुबंध-IV** पर दिए गए हैं।

इसके अलावा, नई सौर ऊर्जा स्कीम के तहत 9,961 घरों के ऑफ-ग्रिड सौर आधारित विद्युतीकरण के लिए 50 करोड़ रुपये के कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। राज्य-वार विवरण **अनुबंध-V** पर दिया गया है।

बिहार के कटिहार जिले में स्कीमवार विद्युतीकरण की स्थिति निम्नानुसार है:

डीडीयूजीजेवाई	934 गांवों का विद्युतीकरण
	2,13,906 बीपीएल परिवारों का विद्युतीकरण
सौभाग्य	3,47,597 घरों का विद्युतीकरण
आरडीएसएस (डीए-जेजीयूए के अंतर्गत)	895 घरेलू विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत

(घ) : बिहार के कटिहार जिले में डीडीयूजीजेवाई के तहत 504.95 करोड़ रुपये की लागत से वितरण अवसंरचना कार्य शुरू किए गए ताकि विद्युत की गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय आपूर्ति प्रदान की जा सके,जिसमें सब-स्टेशन का विस्तार, नए सब-स्टेशन का निर्माण, फीडर पृथक्करण, 33 केवी/11केवी/एलटी लाइनें बिछाना, नए वितरण ट्रांसफार्मर आदि शामिल हैं। डीडीयूजीजेवाई के तहत संस्वीकृत सभी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य पूरे हो गए हैं और यह स्कीम दिनांक 31.02.2022 को बंद हो गई है।

इसके अलावा, बिहार के कटिहार जिले में स्मार्ट मीटरिंग और हानि में कमी के लिए आरडीएसएस के तहत 200 करोड़ रुपये के कार्य शुरू किए गए हैं, जिनमें धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के तहत संस्वीकृत कार्य भी शामिल हैं।

(ङ) : चुनौतियों में दुर्गम स्थलाकृति जैसे दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्र और वन, खराब मौसम की स्थिति और परियोजना के निष्पादन के लिए दक्ष जनशक्ति की उपलब्धता शामिल हैं। चुनौतियों से निपटने के लिए उठाए गए कदमों में पोर्टेबल सबस्टेशन और प्री-फैब्रिकेटेड संरचनाओं जैसे इंजीनियरिंग समाधान शामिल हैं। भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मानचित्रण, ड्रोन और दूरस्थ पर्यवेक्षण उपकरणों सहित प्रौद्योगिकियों ने परियोजना निष्पादन को बढ़ाया। विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे श्रमिकों और ठेकेदारों को पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से और सुरक्षित रूप से काम करने में सक्षम बनाया गया।

(च) : मंत्रालय ने मेसर्स अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी के माध्यम से 2022 में डीडीयूजीजेवाई का एक तृतीय पक्ष प्रभाव मूल्यांकन किया, जिसमें इस स्कीम के व्यवसाय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामुदायिक सुरक्षा और बैंकिंग पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला गया।

लो.सं.अतारां.प्र.सं. 1397

अनुबंध-I

वर्ष 2015-16 से दिनांक 28.04.2018 तक डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत आवासित संगणना गांवों का राज्यवार विद्युतीकरण

क्रम संख्या	राज्यों के नाम	विद्युतीकृत गांवो की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	1,483
2	असम	2,732
3	बिहार	2,906
4	छत्तीसगढ़	1,078
5	हिमाचल प्रदेश	28
6	जम्मू एवं कश्मीर	129
7	झारखंड	2,583
8	कर्नाटक	39
9	मध्य प्रदेश	422
10	महाराष्ट्र	80
11	मणिपुर	366
12	मेघालय	1,051
13	मिजोरम	54
14	नागालैंड	78
15	ओडिशा	3,281
16	राजस्थान	427
17	त्रिपुरा	26
18	उत्तर प्रदेश	1,498
19	उत्तराखंड	91
20	पश्चिम बंगाल	22
	कुल	**18,374**

लो.सं.अतारां.प्र.सं. 1397

अनुबंध-II

डीडीयूजीजेवाई के तहत वित्त वर्ष 2015 से सितंबर 2017 तक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) घरों के विद्युतीकरण की राज्यवार उपलब्धि

क्रम संख्या	राज्य	कुल बीपीएल विद्युतीकृत घर
1	आंध्र प्रदेश	6,64,851
2	असम	1,01,537
3	बिहार	19,76,832
4	छत्तीसगढ़	63,756
5	गुजरात	813
6	जम्मू एवं कश्मीर	1,133
7	झारखंड	12,391
8	कर्नाटक	98,821
9	केरल	24,993
10	मध्य प्रदेश	5,61,262
11	महाराष्ट्र	59
12	मेघालय	95
13	मिजोरम	447
14	नागालैंड	507
15	ओडिशा	1,03,857
16	राजस्थान	1,49,854
17	सिक्किम	1,850
18	तमिलनाडु	1,976
19	तेलंगाना	849
20	त्रिपुरा	41,759
21	उत्तर प्रदेश	10,82,986
22	उत्तराखंड	46
23	पश्चिम बंगाल	34,450
कुल		49,25,124

लो.सं.अतारां.प्र.सं. 1397

अनुबंध-III

सौभाग्य स्कीम के शुभारंभ के बाद से विद्युतीकृत घरों की संख्या, जिसमें डीडीयूजीजेवाई के तहत अतिरिक्त घरों की उपलब्धि भी शामिल है:

क्रम संख्या	राज्यों के नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश*	1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	23,26,656
4	बिहार	32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,92,368
6	गुजरात*	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	3,77,045
10	झारखंड	17,30,708
11	कर्नाटक	3,83,798
12	लद्दाख	10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922
15	मणिपुर	1,08,115
16	मेघालय	2,00,240
17	मिजोरम	27,970
18	नागालैंड	1,39,516
19	ओडिशा	24,52,444
20	पुडुचेरी*	912
21	पंजाब	3,477
22	राजस्थान	21,27,728
23	सिक्किम	14,900
24	तमिलनाडु*	2,170
25	तेलंगाना	5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	91,80,571
28	उत्तराखंड	2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290
कुल		2,86,13,424

*सौभाग्य योजना के अंतर्गत गैर-वित्तपोषित

लो.सं.अतारां.प्र.सं. 1397

अनुबंध-IV

आरडीएसएस के तहत घरों का विद्युतीकरण

क्रम संख्या	राज्य	संस्वीकृत परिव्यय (करोड़ रुपए)	संस्वीकृत जीबीएस (करोड़ रुपए में)	कुल कवर हुए घर
क.	**अतिरिक्त संस्वीकृत घर**			
1	राजस्थान	459.18	275.51	1,90,959
2	मेघालय	435.70	392.13	50,501
3	मिजोरम	79.90	71.91	15,167
4	नागालैंड	69.55	62.59	10,004
5	उत्तर प्रदेश	931.04	558.62	2,51,487
6	आंध्र प्रदेश	49.24	29.55	15,475
7	झारखंड	7.47	4.48	872
8	जम्मू और कश्मीर	77.10	69.39	10,730
9	बिहार	300.26	180.16	42,584
10	असम	785.55	706.99	1,27,111
11	अरुणाचल प्रदेश	47.11	42.40	6,506
12	मणिपुर	214.44	193.00	36,972
13	छत्तीसगढ़	316.51	189.90	63,161
	कुल (क)	**3,773.04**	**2,776.64**	**8,21,529**
ख.	**वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत**			
1	हिमाचल प्रदेश*	6.08	5.47	-
2	अरुणाचल प्रदेश	20.18	18.16	1,683
3	उत्तराखंड	13.08	11.77	1,154
	कुल (ख)	**39.34**	**35.41**	**2,837**
ग.	**प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत**			
ग 1	आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत			
1	आंध्र प्रदेश	88.71	53.23	25,054
2	बिहार	0.28	0.17	51
3	छत्तीसगढ़	38.17	22.90	7,077
4	झारखंड	74.13	44.47	12,442
5	मध्य प्रदेश	143.39	86.02	29,290
6	महाराष्ट्र	26.61	15.96	8,556
7	राजस्थान	40.34	24.20	17,633
8	कर्नाटक	3.77	2.26	1,615
9	केरल	0.86	0.52	345
10	तमिलनाडु	29.89	17.94	10,673
11	तेलंगाना	6.79	4.07	3,884
12	त्रिपुरा	61.52	55.37	11,664
13	उत्तराखंड	0.60	0.54	669
14	उत्तर प्रदेश	1.10	0.66	316
	उप योग (ग1)	**516.15**	**328.31**	**1,29,269**

घ.	**धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के तहत**			
घ1	संस्वीकृत घर			
1	छत्तीसगढ़	11.98	7.19	2,550
2	महाराष्ट्र	2.07	1.24	480
3	त्रिपुरा	40.69	36.62	7,677
4	कर्नाटक	30.53	18.32	3,682
5	अरुणाचल प्रदेश	8.20	7.38	1,938
6	तेलंगाना	110.73	66.44	26,525
	उप-योग (घ1)	**204.20**	**137.19**	**42,852**
घ2	संस्वीकृत सार्वजनिक स्थान			
1	त्रिपुरा	2.31	2.08	512
2	अरुणाचल प्रदेश	0.04	0.03	9
3	तेलंगाना	2.90	1.74	672
	उप-योग (घ2)	**5.25**	**3.86**	**1,193**
	कुल (घ=घ1+घ2)	**209.45**	**141.05**	**44,045**
	कुल योग (क+ख+ग+घ)	**4,537.99**	**3,281.39**	**9,97,680**

लो.सं.अतारां.प्र.सं. 1397

अनुबंध-V

नई सौर ऊर्जा स्कीम के तहत ऑफ-ग्रिड सौर आधारित संस्वीकृत घरों का विद्युतीकरण

क्रम संख्या	राज्य	संस्वीकृत घरों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1,675
2.	छत्तीसगढ	1,578
3.	झारखंड	2,342
4.	मध्य प्रदेश	2,060
5.	कर्नाटक	179
6.	केरल	98
7.	तेलंगाना	326
8.	त्रिपुरा	1,703
कुल		**9,961**

****